

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/सहा.वि.अ. राजाखेड़ा/निलम्बन/2021/ 223 जयपुर,दिनांक: 19/01/2021


:: आदेश ::

श्री राजेन्द्र सिंह राठौर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा, जिला धौलपुर को कार्यालय थानाधिकारी, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 08.01.2021 को अपराह्न 03.40 पर गिरफ्तार किया गया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र सिंह राठौर को गिरफ्तारी दिनांक 08.01.2021 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been suspended) एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद सवाईमाधोपुर रहेगा, निलम्बन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(मंजू राजपाल)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर/सवाईमाधोपुर
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजाखेड़ा (धौलपुर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश का इन्द्राज श्री राजेन्द्र सिंह राठौर की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर, उसकी प्रमाणित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री राजेन्द्र सिंह राठौर, सहायक विकास अधिकारी, पं.स. राजाखेड़ा (धौलपुर)।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-11